उच्छबी बाई बनाम छीतर लाल

अपील संख्या : 19/325

28.08.2019	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित । अपील एडमिशन पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मृतक देवलाल द्वारा गोपाल के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया था जिसे स्वीकार करते हुए गोपाल के खाते की आराजी देवलाल के खाते में दर्ज की गई है । देवलाल की मृत्यु हो चुकी है । अपीलान्ट उनके विधिक वारिस हैं । गोपाल के कायममुकामान के रूप में उनकी पत्नी ग्यारसी को कायममुकामन बनाया गया था । गोपाल के दो जायन्दा पुत्रियॉ उच्छवी बाई एवं प्रेमबाई जिन्दा थी परन्तु देवलाल द्वारा मिली भगत करके अपीलान्ट की माता ग्यारसी जो अनपढ थी छलपूर्वक पक्षकार बनाकर अपना दावा डिक्री करवा लिया गया । देवलाल को इस तथ्य की जानकारी थी कि यदि दो पुत्रियों को पक्षकार बनाया गया तो उक्त भूमि मेरे खाते में दर्ज नहीं होगी । वादग्रस्त आराजी में गोपाल का 1/2 हिस्सा दर्ज है । कपटपूर्ण तरीके से डिक्री प्राप्त की गई है । गोपाल की मृत्यु दिनांक 01.02.1980 को हो गई थी। ग्यारसी बाई की मृत्यु दिनांक 08.06.2011 को हुई थी और अपीलान्टगण का जन्म 1956 के पश्चात् हुआ था । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्टगण गोपाल के खाते की आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावे । उन्हें कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2018 (1) पेज 317, आरआरटी 2011 (2) पेज 1020, आरआरटी 2017 (2) पेज 1051, आरआरटी 2017 (2) पेज 1074 उद्धरत की । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील सन् 1968 के निर्णय के खिलाफ पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय राजीनामा के आधार पर पारित किया गया था जिसकी अपील इतने विलम्ब से पेश की गई है जो एडमिशन स्तर पर खारिज की जावे । हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सन् 1968 के खिलाफ अपील सन् 2019 में पेश की है जो लगभग 51 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.11.1966 के अनुसार गोपाल के कायममुकामान में ग्यारसी की तलबी की गई है इसके उपरान्त दिनांक 04.02.1967 की आदेशिका के अनुसार ग्यारसी स्वयं उपस्थित हुई हैं और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय सन् 1968 में पारित करते हुए वादी को खातेदार कृषक घोषित किया है । वादग्रस्त आराजी पर सन् 1968 से

देवलाल तन्हा खातेदार के रूप में दर्ज है । उसके 51 वर्ष बाद अपीलान्टगण ने स्वयं को गोपाल का कायममुकामान दर्शाते हुए अपील पेश की है । सन् 1968 से वादग्रस्त आराजी वादी गोपाल के तन्हा खाते में दर्ज है । अपील के अनुसार उनकी माता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इकबालिया जवाब पेश किया था उनकी माता ग्यारसी बाई की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में जवाबदावा छलपूर्वक लिखा गया था अथवा नहीं यह सिद्ध नहीं किया जा सकता । अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है और कब्जा प्राप्त करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है ।

इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा